संख्या - 007/वी.जी.एल/010
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलैक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023
दिनांक: 28.08.2009

**परिपत्र संख्या 25/8/2009**

**विषय: अभियोजन स्वीकृतियों की संवीक्षा हेतु विशेषज्ञों की समिति का गठन ।**

कार्मिक, लोक शिकायत एंव पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 6.11.2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-399/33/2006-ए.वी.डी-III द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, आयोग ने दिनांक 13/6/07 के परिपत्र सं-17/5/07 तथा दिनांक 24.03.2008 के परिपत्र सं0 11/3/08 द्वारा पुन:विचार प्रस्तावों की संवीक्षा करने के लिए एक सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जहां आयोग तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने संदिग्ध लोक सेवकों के विरूद्व अभियोजन के लिए स्वीकृति की सलाह दी है ।

2. विशेषज्ञों की उक्त समिति का कार्यकाल दो वर्षों की अवधि के लिए था जो दिनांक 13.06.2009 को समाप्त हो गया था जिसे दिनांक 20.08.2009 के परिपत्र सं0 24/8/09 द्वारा 31.08.2009 तक बढ़ा दिया गया था । आगे यह निर्णय लिया गया है कि समिति का कार्यकाल दिनांक 31.10.2009 तक बढ़ाया जाए ।

3. विशेषज्ञ समिति की शर्तें एवं निबंधन वही रहेंगी ।

ह0/-
(शालिनी दरबारी)
निदेशक

सेवा में

1. विशेषज्ञ समिति के सदस्य
2. श्री राहुल सरीन, सचिव, कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली
3. श्री अश्वनी कुमार, निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली
4. सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी